पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 46/2018

अनवान :

1. लेखराम पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा।
2. रोहताश पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. साहबराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा।
2. कृष्णा पुत्री साहबराम जाति जाट निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा।
3. पंजाब नेशनल बैंक मलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक मलसीसर तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री विनोद पूनियां एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 श्री बंशीधर शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा श्यारोटाडा के खाता सं0 109/107 के खसरा सं0 164 की 0.2530 है0 खसरा सं0 257 की 10.3070 है0 खसरा सं0 258 की 5.7920 है0 कुल तादादी 16.3520 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी साहबराम के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा श्योराटाडा के ही खाता सं0 124 के खसरा सं0 19 की 1.5680 है0 खसरा सं0 21 की 0.1900 है0 खसरा सं0 87 की 2.4150 है0, खसरा सं0 187 की 4.1230 है0 कुल 8.2960 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी साहबराम के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 साहबराम के बजाय वादीगण लेखराम व रोहताश एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदारी काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि पंजाब नेशनल बैंक शाखा मलसीसर के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणानुसार वादी सं0 1 लेखराम, वादी सं0 2 रोहताश एवं प्रतिवादी सं0 1 साहबराम व प्रतिवादिया सं0 2 कृष्णा के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

16.8.19
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं० : 46/2018

अनवान :

1. लेखराम पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा।
2. रोहताश पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. साहबराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा।
2. कृष्णा पुत्री साहबराम जाति जाट निवासी श्योराटाडा तहसील भादरा।
3. पंजाब नेशनल बैंक मलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक मलसीसर तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री विनोद पूनियां : **वादीगण**
वकील श्री बंशीधर शर्मा : **प्रतिवादी सं0 1 व 2**

निर्णय

दिनांक : 16.08.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा श्यारोटाडा के खाता सं0 109/107 के खसरा सं0 164 की 0.253 है0 खसरा सं0 257 की 10.307 है0 खसरा सं0 258 की 5.792 है0 कुल तादादी 16.352 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी साहबराम के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा श्योराटाडा के ही खाता सं0 124 के खसरा सं0 19 की 1.568 है0 खसरा सं0 21 की 0.190 है0 खसरा सं0 87 की 2.415 है0, खसरा सं0 187 की 4.123 है0 कुल 8.296 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी साहबराम के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है जो कि पहले वादीगण के दादा रतनाराम की खातेदारी हुआ करती थी रतनाराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी साहबराम के नाम से दर्ज है, वह वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में प्राप्त हुई थी परन्तु विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी साहबराम ने अपने नाम से महज कर्ता खानदान होने के नाते दर्ज करवा लिया।

.वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने पर वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादीगण सं0 3 व 4 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादीगण में वादी लेखराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम श्योराटाडा खाता सं0 109/107, 124/82 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 1 व 2, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम श्योराटाडा खाता सं0 104/99, 81/77, 82/78 सम्वत् 2066 से 69 प्रदर्श 3 व 4, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता

16.8.2019
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)भादरा

रतनाराम से उनकी मृत्युपरान्त विरासतन प्राप्त हुई जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के साथ साथ वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 का भी जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादीगण ने ग्राम श्योराटाडा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम श्योराटाडा खाता सं0 104/99, 81/77, 82/78 सम्वत् 2066 से 69 प्रदर्श 3 व 4 प्रदर्शित करवाई है उनमें वाद भूमि वादी के दादा रतनाराम वल्द सुरजाराम के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना व वादीगण के पिता साहबराम को विरासतन प्राप्त होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 में साहबराम के वारिसान में पत्नि शान्ति फौत होना, दो पुत्र रोहताश व लेखराम व एक पुत्री कृष्णा मौजूद होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण साबित है तथा मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा श्यारोटाडा के खाता सं0 109/107 के खसरा सं0 164 की 0.2530 है0 खसरा सं0 257 की 10.3070 है0 खसरा सं0 258 की 5.7920 है0 कुल तादादी 16.3520 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी साहबराम के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही मौजा श्योराटाडा के ही खाता सं0 124 के खसरा सं0 19 की 1.5680 है0 खसरा सं0 21 की 0.1900 है0 खसरा सं0 87 की 2.4150 है0, खसरा सं0 187 की 4.1230 है0 कुल 8.2960 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी साहबराम के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 साहबराम के बजाय वादीगण लेखराम व रोहताश एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 चारों बहिस्सा बराबर के खातेदारी काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि पंजाब नेशनल बैंक शाखा मलसीसर के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणानुसार वादी सं0 1 लेखराम, वादी सं0 2 रोहताश एवं प्रतिवादी सं0 1 साहबराम व प्रतिवादिया सं0 2 कृष्णा के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.8.19

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़